



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, दूरभाष : 0141-2552798

क्रमांक : F.11(5)/RSSB/vehical on call basis/2021-22/part-1-00025-Part File(2) 471

दिनांक: 03.01.2025

खोली निविदा सूचना (31/2024-25)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में आवश्यकतानुसार किराए के वाहन लेने के लिए अनुमती, पंजीकृत टैक्सी/वाहन मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	विषय	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि
1.	आकस्मिक यात्राओं हेतु:- (क)- टैक्सी वाहन जयपुर (स्थानीय), राजस्थान एवं दिल्ली हेतु आवश्यकतानुसार वाहन। (ख)- मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक परीक्षाओं के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।	रु. 4.00 लाख	रु. 400/- सचिव राज. कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम डिमांड ड्राफ्ट/बैंक चेक के माध्यम से जमा कराना होगा।	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत

निविदा प्रपत्र मय शर्तों एवं विवरण सहित विभागीय वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in

एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर दिनांक 03/01/2025 से उपलब्ध है। तथा भरी हुई निविदाएं दिनांक 03/01/2025 को अपरान्ह 3:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 03/01/2025 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जाएंगी।

(डॉ. बी.सी. बघाल)
सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.01.03 10:57:28 IST
Reason: Approved



बिड प्रपत्र क्रमांक - 2024-25 /
बिड प्रपत्र का मूल्य :- 400 /-
बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
(अपरान्ह 3:00 बजे तक)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

बिड प्रपत्र

आकरिमिक यात्राओं हेतु/आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम.....

डाक का पूर्ण पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.....

PAN नम्बर.....खाता संख्या.....बैंक का नाम मय शाखा.....

आईएफएसआई कोड.....

- जिसे संबोधित किया गया है - सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- बिड शुल्क की रकम रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) नकद/रसीद/बैंक ड्राफ्ट नं.दिनांक..... द्वारा जमा करा दी गई है/संलग्न है।
नोट :- वेबसाइट से बिड प्रपत्र डाउनलोड करने पर बिड शुल्क की राशि पृथक से डी.डी. /चैक द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
- बिड संख्या 2024-25/..... में वर्णित समस्त शर्तों का तथा उक्त बिड सूचना की अन्य शर्तों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों का हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने पर प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
- अनुमानित लागत की 2% राशि की बोली प्रतिभूति का DD संलग्न करना है। DD no. & Date
- किसी भी बिड अथवा समस्त बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सचिव, RSSB को होगा।
- बोलीदाता द्वारा बोर्ड की शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त अंकित नहीं की जायेगी एवं ऐसा करने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा। केवल बोर्ड द्वारा मांगी गयी दरों पर ही विचार किया जायेगा।
- बोलीदाता वाहन मालिक/फर्म को निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे : संलग्न नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - पहचान पत्र
 - पैन कार्ड की फोटो कॉपी
 - फर्म की स्थिति में GST Registration, TAN आवंटन की फोटो प्रति/फर्म की रजिस्ट्रेशन प्रति

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मोहर

Signature valid

Digitally signed by Binay Chand
Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.01.09 10:57:28 IST
Reason: Approved

“ दर अनुसूची ”

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. (GST सहित) (राजस्थान राज्य की यात्राओं/राज्य से बाहर की यात्राओं हेतु)		दर प्रति कि.मी. जयपुर शहर में (स्थानीय कार्यों के लिए) (GST सहित)		दर प्रति कि.मी. (GST सहित) (राजस्थान राज्य की यात्राओं/राज्य से बाहर की यात्राओं हेतु)		दर प्रति कि.मी. जयपुर शहर में (स्थानीय कार्यों के लिए) (GST सहित)			
		प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि. मी. चलन के आधार पर)	अतिरिक्त दूरी हेतु दर (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन न्यूनतम 8 टै/80 कि. मी. चलन के आधार पर)	अतिरिक्त चलन हेतु दर		प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि. मी. चलन के आधार पर)	अतिरिक्त दूरी हेतु दर (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन न्यूनतम 8 टै/80 कि. मी. चलन के आधार पर)	अतिरिक्त चलन हेतु दर	
					प्रति कि.मी.	प्रति टै				प्रति कि.मी.	प्रति टै
A- टैक्सी वाहन											
1	टाटा इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर/SX-4 समकक्ष (Non A.C.)										
2	टाटा इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर/ SX-4 समकक्ष (A.C.)										
3	विंगर/ट्रैक्स/ समकक्ष वाहन (Non A.C.)										
4	विंगर/ट्रैक्स/ समकक्ष वाहन (A.C.)										
B- मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक											
5	मिनी बस										
6	छोटा लोडिंग टैम्पो										
7	पिकअप/समकक्ष वाहन										
8	मिनी ट्रक 407										
9	मिनी ट्रक 609										
10	LP ट्रक 18 फुट/1109 19 फुट										

नोट- दरें पेट्रोल/डीजल/ऑयल/चालक एवं अन्य खर्च सहित हैं।

दिनांक
संलग्न :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मोहर

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.01.05 10:57:28 IST
Reason: Approved

बिड की शर्तें

नोट :- बोलीदाता को बिड में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पठना चाहिए।

1. बिड यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर भेजी जानी चाहिए। जिस पर "वाहन किराये हेतु बिड" अंकित होना चाहिये।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। दरों का अंकन अंकों के साथ शब्दों में भी किया जाना चाहिए। शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
3. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाये जायेंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वैध लाइसेंस चालक को साथ रखने होंगे।
4. आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे तथा आवश्यक होने पर परमिट भी फर्म को स्वयं अपने खर्चे पर ही प्राप्त करना होगा।
5. किसी भी यांत्रिक/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण बोर्ड के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि वाहन की व्यवस्था पर बोर्ड को अतिरिक्त मूल्य, वहन करना पडा तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जायेगी।
6. वाहन चालक द्वारा अपनी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वाहन चालक को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
7. वाहन चालक को नियमानुसार लॉग बुक का संधारण करना होगा।
8. बिड में दी गई दरें अनुबंध से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायक की दरें स्वीकृत किये जाने एवं कार्य आदेश दिये जाने पर 15 दिवस में उचित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप करारनामा निष्पादित करना होगा।
10. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो बोर्ड के कार्य हेतु प्रस्तुत होना है, में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से कार्य कर रहा है।
11. बोर्ड के प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रीडिंग असामान्य प्रतीत होती है अथवा माईलोमीटर चलते चलते बन्द हो जाता है तो किलोमीटर का निर्धारण पी.डब्ल्यू.डी./रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान किया जा सकेगा।
12. सामान्यतः वाहन राजस्थान राज्य में स्थित शहरों में ही भेजे जायेंगे, किन्तु आवश्यकता पडने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते हैं।
13. यदि किसी कारण से मुख्यालय के बाहर वाहन का रात्रि ठहराव रहता है तो वाहन चालक को राशि रु. 300 प्रति रात्रि का भुगतान किया जायेगा।
14. ठेकेदार को वाहन पर एक प्लेट यह उदृत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है। उपलब्ध करानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि इसके फ्रेम से खींचकर हटाया जा सके। वाहन के कर्तव्य से मुक्त होते समय यह प्लेट हटाकर प्रभारी अधिकारी के संरक्षण में रखनी होगी।
15. वाहन के मूल प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा मंगाये जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
16. अनुबंध अवधि में किसी भी संविदा विरुद्ध स्थिति फर्म/व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है तो बोर्ड को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. बोलीदाता अपनी बिड अथवा उसके किसी भी भाग को ना तो किसी अन्य एजन्सी को दे सकता एवं न ही किसी को आगे बिड पर दे सकेगा।
18. सफल बोलीदाता को करार के समय बिड मूल्य की प्रतिभूति (Performance Security) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराने होंगे। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार होंगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by Bhagy Chand Badhal

Reason: Approved

Date: 2025.01.20 10:57:28 IST

Reason: Approved

19. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव का निर्णय ही मान्य होगा।
20. किसी भी प्रकार का अग्रिम संदाय बोर्ड द्वारा नहीं किया जावेगा।
21. वाहन सफल बोलीदाता को बोर्ड के निर्देशानुसार निर्देशित अवधि के लिए वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन समय पर नहीं पहुँचने पर वाहन मालिक की कोस्ट एवं रिस्क पर वाहन किराये पर लिया जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति वाहन मालिक से की जावेगी।
22. वाहन वर्ष 2019 एवं इसके बाद के अच्छी कन्डीशन के होने चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2019 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का होगा।
23. वाहन का पंजीयन "टी" "पी" अथवा "जी" श्रेणी में होना चाहिये।
24. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में से प्रत्येक भुगतान में से नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।
25. निश्चित दिनांक व प्राप्ति समय के पश्चात् प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
26. दरें डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल एवं वाहन चालक सहित दी जावेगी तथा अनुबंध की अवधि के दौरान यदि डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल के मूल्य में वृद्धि होती है तो भी दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।
27. यदि वाहन किसी कारणवश खराब हो जाता है तो वाहन स्वामी को अविलम्ब, अपने स्तर से दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
28. बोर्ड से सूचना प्राप्त होने के बाद तुरन्त बोलीदाता को वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा यदि बोलीदाता इसमें असफल रहता है तो बोर्ड द्वारा खुले बाजार से वाहन किराये पर लेने पर इसकी अन्तर राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी, एवं एक अवसर पर 100000.00 रु. शास्ति लगायी जायेगी।
29. यदि बोलीदाता समय पर/सही वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है अथवा उसका/वाहन चालक का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो बोर्ड को किसी भी समय पर उचित अवसर देकर अनुबंध समाप्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
30. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू/प्रभावी समस्त दायित्वों/नियमों का बोलीदाता द्वारा निर्वहन करना होगा।
31. अनुबंधित वाहन में यात्रा के दौरान वाहन चालक की लापरवाही या बरसात के मौसम में वाटरप्रूफ त्रिपाल नहीं लगाने या अन्य लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वह अनुबंधित वाहन मालिक से वसूली जावेगी।
32. यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त/टूट-फूट/चालान आदि होने पर इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिए संबंधित अनुबन्धकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि दुर्घटना में इस कार्यालय/संस्था को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व अनुबन्धकर्ता वाहन मालिक/फर्म का होगा।
33. पथकर (टोलटैक्स), दूसरे राज्य में जाने पर राज्य कर एवं पार्किंग चार्ज के सिवाय समस्त कर व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे। व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म/ द्वारा संदत पथकर (टोलटैक्स), राज्य कर एवं पार्किंग चार्ज का पुनर्भरण संदाय की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
34. इस अनुबन्ध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और इस अनुबन्ध की व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्नों के लिये प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान सचिव RSSB एवं द्वितीय अपील अधिकारी अध्यक्ष महोदय RSSB होंगे।
35. किसी भी वैधानिक वाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किये जाने वाले दावे यदि आवश्यकता पड़े जयपुर में स्थित न्यायालय में ही प्रारंभ करने होंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

सचिव
जयपुर
Digitally signed by Brijendra Badhal

Digitally signed by Brijendra Badhal

Designation : Secretary

Date: 2025.01.03 10:57:28 IST

Reason: Approved

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं फर्म की मोहर

अनुबन्ध पत्र

1. यह करार आज दिनांक..... को एक और मैसर्स.....। (जिसे इसमें इसके पश्चात "अनुमोदित प्रदायक" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ के अनुकूल हो उसके वारिश, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे।) दूसरी और सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित समझे जायेंगे) के बीच समपन्न किया गया है।
2. यह करार दिनांक..... से एक वर्ष तक मान्य होगा। इसके आगे की अवधि RTPP rules के अनुसार पारस्परिक सहमति से उसी दर से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
3. अनुमोदित प्रदायक सभी बिड शर्तों का पालन करते हुए सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की स्वीकृति दरों (जो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक.....दिनांक..... द्वारा सूचित की है) में डीजल/पेट्रोल/ऑयल अन्य सभी कर टोल टैक्स, GST सहित वाहन किराये पर उपलब्ध कराने को सहमत होगा।
4. जयपुर से बाहर की यात्राओं हेतु वाहनों के लिए 250 किलोमीटर प्रतिदिन न्यूनतम चलन के आधार पर किराया देय होगा। स्थानीय कार्यों हेतु न्यूनतम 8 घंटे/80 किलोमीटर प्रतिदिन चलन आधार पर देय होगा। एक दिन की गणना कार्यालय में वाहन उपलब्ध कराने से अगले 24 घंटे तक की जायेगी। वाहन कार्यालय में आते ही उपयोगकर्ता को वाहन के आने की प्रविष्टि एवं वाहन का किलोमीटर व समय नोट कराना होगा।
5. अनुमोदित प्रदायक ने..... रूपये प्रतिमूति राशि के रूप में रसीद संख्या.....दिनांक..... द्वारा जमा करा दी है।
6. रास्ते में वाहन खराब होने पर उसे ठीक कराने में लगने वाले समय एवं व्यय को बोर्ड वहन नहीं करेगा तथा फर्म को तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। जिसमें होने वाले समस्त व्यय फर्म ही वहन करेगी। किसी भी प्रकार का अग्रिम वाहन मालिकों को नहीं दिया जावेगा।
7. इस करार के संबंध में होने वाले समस्त विवाद इस करार के निर्वचन सम्बन्धी समस्त प्रश्न सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे तथा बोर्ड के सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा।
8. बोर्ड द्वारा जारी शर्तें ही मान्य होगी।
9. भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।
10. GST जमा कराने का प्रमाण पत्र अगले बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके अभाव में बिल पारित किया जाना संभव नहीं होगा।
11. वाहन का पंजीयन "टी" "पी" अथवा "जी" श्रेणी में होना चाहिये।
12. वाहन वर्ष 2019 एवं इसके बाद के अच्छी कन्डीशन के होने चाहिये यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2019 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए निर्धारित किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को होगा।
13. बिड प्रपत्र में बर्णित एवं संलग्न सभी शर्तें मान्य होगी।
14. बिड की शर्तें करार का ही भाग होंगी। दरें निम्नानुसार होंगी :-

इसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

अनुमोदित प्रदायक के हस्ताक्षर
साक्षी नं. 1
साक्षी नं. 2

बोर्ड के लिए/की ओर से
हस्ताक्षर व पदनाम

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.01.23 10:57:28 IST
Reason: Approved